उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-8/2016-एस0ई0-4-1048/दस-2016-ई0एम0-24/04
लखनऊ : दिनांक : 10 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या-65 के लेखा शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत प्राविधान (आय-व्ययक) की धनराशि रू0 41.00 लाख (रूपये इकतालीस लाख मात्र) के सापेक्ष वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2016/बी-1-746/दस-2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के अनुसार रू0 41.00 लाख (रूपये इकतालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

लेखा शीर्ष-2052 सचिवालय सामान्य सेवाये-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण	वित्तीय वर्ष 2016-2017 में मानक मदवार प्राविधान (हजार रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2016-2017 हेतु मानक मदवार व्यय की जाने वाली धनराशि (रूपये हजार में)
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	150	150
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3000	3000
25-लघु निर्माण कार्य	--	--
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	400	400
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	550	550
योग:-	**4100**	**4100**

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत उपर्युक्त लेखा शीर्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

ओम प्रकाश द्विवेद्वी
विशेष सचिव।

संख्या-8/2016-एस0ई0-4-1048(1)/दस-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा) दो प्रतियों में।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।